A 4

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 188/2020

इन्द्र सिंह पुत्र भीम सिंह, जाति जाट, निवासी निजामपुर (ओजटू), तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं।

– – अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

– – रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अपील खिलाफ निर्णय बअदालत नायब तहसीलदार चिडावा, जिला झुंझुनूं मुकदमा उनवानी सरकार बनाम इन्द्र सिंह, अ0धा0 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मु0न0 01/2020 आदेश दिनांक 02.06.2020

उपस्थित:–

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट – अपीलान्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 24.03.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील नायब तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 02.06.2020 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी के अनुसार अदालत मातहत ने अपीलान्ट को जमीन हाल खसरा नं0 3 रकबा 2.47 हैक्टर मे से 2.40 हैक्टर एवं खसरा नं0 4 रकबा 0.04 हैक्टर सरहद मौजा निज़ामपुर (ओजटू) पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व 2175 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 02.06.2020 को पारित किया। उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलान्ट की ओर से यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.2020 खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। अपीलान्ट के विरूद्व दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। अदालत मातहत ने विधिक प्रकिया को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है। जमीन जैर बहस राजकीय भूमि नही है। जमीन जैर बहस अपीलान्ट की खरीद शुदा भूमि है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड गलत बना हुआ है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के जबाब नोटिस को बिना विश्लेषण किये निर्णय पारित किया है। जमीन जैर बहस रिकार्ड मे मन्दिर श्री जगदीश जी वाके चिड़ावा के नाम दर्ज होना कथित किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि मूर्ति मन्दिर के नाम से दर्ज भूमि पर दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते। इस संबंध मे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने आर0आर0टी0 2005 (1) पृष्ठ संख्या 253 नाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान [illegible] प्रतिपादित किया है। अदालत मातहत को दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम [illegible] के तहत कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नही था। अदालत मातहत के य[illegible] था कि जमीन जैर बहस अपीलान्ट के कब्जेकाश्त व ख[illegible] के मार्फत रिकार्डेड खातेदार से क्रय की है। ऐसी सूरत मे अदालत मातहत को अपीलान्ट के विरूद्ध संक्षि

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:39:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुंझुनूं

A4/2

कार्यवाही करने का अधिकार नही था। अदालत मातहत ने दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.2020 को अपास्त किया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान नजीर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 12.04.2004 मल सिहं बनाम राजस्थान सरकार की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.2020 खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। अपीलान्ट अतिकमी नही है। अपीलान्ट के विरूद्व दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। अदालत मातहत ने विधिक प्रकिया को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है। जमीन जैर बहस राजकीय भूमि नही है। जमीन जैर बहस अपीलान्ट की खरीद शुदा भूमि है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड गलत बना हुआ है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के जबाब नोटिस को बिना डिसकस किये निर्णय पारित किया है। जमीन जैर बहस रिकार्ड मे मन्दिर श्री जगदीश जी मार्फत चिड़ावा के नाम दर्ज होना कथित किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि मूर्ति मन्दिर के नाम से दर्ज भूमि पर दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते। इस संबंध मे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने आर0आर0टी0 2005 (1) पृष्ठ संख्या 253 मल सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थन के निर्णय में उपरोक्त सिद्वान्त प्रतिपादित किया है। अदालत मातहत को दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नही था। अदालत मातहत के यहां अपीलान्ट ने एक सारवान बिन्दु उठाया था कि जमीन जैर बहस अपीलान्ट के कब्जे काश्त व खातेदारी की है व पंजीकृत विकय विलेख के मार्फत रिकार्डेड खातेदार से कय की है। ऐसी सूरत मे अदालत मातहत को अपीलान्ट के विरूद्व संक्षिप्त कार्यवाही करने का अधिकार नही था। अदालत मातहत ने दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों को नजर अंदाज कर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.2020 को अपास्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील अपीलान्ट पर बगौर मनन किया तथा वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का भी अवलोकन किया प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम निजामपुर(ओजटू) स्थित भूमि खसरा नम्बर 3 कुल रकबा 2.47 हैक्टर में से 2.40 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 4 रकबा 0.04 हैक्टर पर भूमि मन्दिर की खातेदारी में होने से अतिकमी माना है। प्रकरण में अपीलान्ट के तर्क निम्न प्रकार रहे है :–

1. अपीलान्ट का मुख्य कथन यह रहा है कि उक्त भूमि अपीलान्ट की कय शुदा भूमि है जिस पर वह काबिज है। मूर्ति मन्दिर की भूमि पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 12.04.2004 मल सिहं बनाम राजस्थान सरकार के अनुसार " मन्दिर की खातेदारी भूमि पर अतिचार धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ नही की जा सकती। केवल धारा 183 के अन्तर्गत ही उपचार है। " नजीर अपीलान्ट के अनुसार कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 तहत की जानी चाहिए थी। देवमूर्ति का उपकाश्तकार एक अतिकमी ([illegible]) [illegible] निष्कासित किया जा सकता है उसे खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। [illegible] मूर्ति [illegible]दिर की खातेदारी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जा सकती तो उस पर किया गया [illegible] अतिकमण की श्रेणी में आता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:39:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

2. इसी कम में राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.09.2018 के अनुसार " मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेगें जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरूद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। " वर्तमान में भूमि की खातेदारी मन्दिर श्री जगदीश जी के नाम से दर्ज रिकार्ड है। मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है, जिसके हकूको की रक्षा हेतु संबंधित तहसीलदार कार्यवाही का अधिकार रखता है। अपीलान्ट द्वारा मन्दिर की खातेदारी भूमि पर कब्जा किया गया है, जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। तहसीलदार ने अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुये बेदखली के आदेश पारित किये है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड मातहत को निर्णय की प्रति के प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुंझुनूं 24/03/21

उमर दीन खान
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.15 11:39:24 IST
Reason: SelfAttested